

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 77 ]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 10 फरवरी 2016—माघ 21, शक 1937

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 फरवरी 2016

क्रमांक-एफ-1-बी-08-11- चौदह-1 :- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश अधीनस्थ कृषि (अलिपिक वर्गीय) सेवा भरती नियम, 1972 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

## संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 11 में,

(एक) उप-नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध रिक्तियों में से 16 प्रतिशत और 20 प्रतिशत पद और 14 प्रतिशत क्रमशः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित रहेंगे।”।

(दो) उप-नियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते

हुए समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो, उप नियम-(3) के अधीन यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों पर नियुक्ति किया जा सकेगा।”।

(तीन) उप-नियम (6) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम जोड़े जाएं, अर्थात्:-

“(7) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये पद आरक्षित रहेंगे।

(8) 6 प्रतिशत पद निःशक्तजनों के लिए आरक्षित रहेंगे, बशर्ते जिस कार्य के लिए नियुक्ति किए जा रहे हों उसे करने में सक्षम हों।

2. अनुसूची- एक में, खण्ड (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“(दो) कृषि अभियांत्रिकी					
1	यांत्रिक सहायक (उप यंत्री )	53	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक पद)	PB-2 Rs. 9300-34800+Rs. 3200	—
2	यांत्रिक (कृषि अभि.)	65	तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय)	PB-2 Rs. 5200-20200+Rs. 2100	—
3	हलयंत्र चालक ( ट्रैक्टर चालक / एयर कम्प्रेसर आपरेटर )	320	—तदैव—	PB-2 Rs. 5200-20200+Rs. 2100	—
4	वैल्डर	6	—तदैव—	PB-2 Rs.-5200-20200+Rs. 2100	—
5	टर्नर	2	—तदैव—	PB-2 Rs. 5200-20200+Rs. 1900	—
6	लोहार/लोहार कम बढई	9	—तदैव—	PB-2 Rs. 5200-20200+Rs. 1900	—
7	वाहन चालक (कृषि अभि.)	10	—तदैव—	PB-2 Rs. 5200-20200+Rs. 1900	—
8	विद्युतकार	2	—तदैव—	PB-2 Rs. 5200-20200+Rs. 1900	—
9	स्वच्छक (हेल्पर / हैमरमेन/स्वच्छक /मेट)	269	चतुर्थ श्रेणी (अलिपिक वर्गीय)	PB-2 Rs 4440-7440+Rs. 1300	—

3. अनुसूची-दो में, खण्ड (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

(दो) कृषि अभियांत्रिकी						
1	यांत्रिक सहायक (उप यंत्री )	53	90 प्रतिशत	10 प्रतिशत	—	
2	यांत्रिक (कृषि अभियांत्रिकी)	65	—	100 प्रतिशत	—	
3	हलयंत्र चालक (ट्रैक्टर चालक / एयर कम्प्रेसर आपरेटर )	320	—	100 प्रतिशत	—	
4	वैल्डर	6	100 प्रतिशत	—	—	
5	टर्नर	2	100 प्रतिशत	—	—	
6	लोहार/लोहार कम बढई	9	100 प्रतिशत	—	—	
7	वाहन चालक ( कृषि अभियांत्रिकी )	10	100 प्रतिशत	—	—	
8	विद्युतकार	2	100 प्रतिशत	—	—	
9	स्वच्छक (हेल्पर / हैमरमेन/स्वच्छक /मेट)	269	100 प्रतिशत	—	—	

4. अनुसूची- तीन में, खण्ड (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग	(दो) कृषि अभियांत्रिकी				
	यांत्रिक सहायक (उप यंत्री )	20 वर्ष	40 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि इंजीनियरिंग में स्नातक	-
	टर्नर	18 वर्ष	40 वर्ष	एन.सी.व्ही.टी./एस.सी.व्ही.टी द्वारा मान्यता प्राप्त आई.टी.आई से संबंधित ट्रेड में उत्तीर्ण	-
	वेल्डर	18 वर्ष	40 वर्ष	एन.सी.व्ही.टी./एस.सी.व्ही.टी द्वारा मान्यता प्राप्त आई.टी.आई से संबंधित ट्रेड में उत्तीर्ण	-
	लोहार/लोहार कम बढ़ई	18 वर्ष	40 वर्ष	एन.सी.व्ही.टी./एस.सी.व्ही.टी द्वारा मान्यता प्राप्त आई.टी.आई से संबंधित ट्रेड में उत्तीर्ण	-
	विद्युतकार	18 वर्ष	40 वर्ष	एन.सी.व्ही.टी./एस.सी.व्ही.टी द्वारा मान्यता प्राप्त आई.टी.आई से संबंधित ट्रेड में उत्तीर्ण	-
	वाहन चालक (कृषि अभियांत्रिकी)	18 वर्ष	40 वर्ष	8 वी पास एवं भारी वाहन चलाने का लाईसेंस	-
	स्वच्छक (हेल्पर/ हैमरमेन/स्वच्छक /मेट)	18 वर्ष	40 वर्ष	8 वीं कक्षा पास	-

## 5. अनुसूची-चार में, खण्ड (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

विभाग का नाम	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है।	पदोन्नति के लिये सेवा का अनुभव	उस सेवा या पद का नाम, जिस पर पदोन्नति की जानी है।	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य	अभ्युक्तियां	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग	(दो) कृषि अभियांत्रिकी					
	1	यांत्रिक (कृषि अभियांत्रिकी)	5 वर्ष	यांत्रिक सहायक (उप यंत्री)	(1) प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी का अन्यकोई वरिष्ठतम अधिकारी अधिमानतः संबंधित स्थापना के बाहर का	—
	2	हलयंत्र चालक (ट्रैक्टर चालक/एयर कम्प्रेसर आपरेटर)	5 वर्ष	यांत्रिक (कृषि अभियांत्रिकी)		—
3	स्वच्छक (मेट/स्वच्छक/हेल्पर/हैमरमेन)	8 वर्ष	हलयंत्र चालक (ट्रैक्टर चालक/एयर कम्प्रेसर आपरेटर)	(2) विषय से संबद्ध कोई भी एक अथवा दो अधिकारी (3) स्थापना से संबंधित अधिकारी	पदोन्नति उपरान्त ट्रैक्टर चालन का लाइसेंस 3 माह में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय गुप्ता, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 फरवरी 2016

क्र. एफ-1-बी-08-11-चौदह-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10 फरवरी 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय गुप्ता, उपसचिव.

Bhopal, the 10th February 2016

No F-1-B-08-11-XIV.1 - In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh sub-ordinate Agricultural (Non-Ministerial) Executive Service Recruitment Rules, 1971, namely:-

### AMENDMENTS

#### In the said rules,

#### 1. In rule 11,-

(i) for sub-rule (3), following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(3) 16 percent and 20 percent and 14 percent posts of the available vacancies for direct recruitment shall be reserved for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes respectively."

(ii) for sub-rule (5), following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(5) candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes recommended by the Committee to be suitable for appointed to the service, with due regard to the maintenance of efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be, under sub-rule (3)."

(iii) after sub-rule (6), the following sub-rules shall be added, namely:-

"(7) Posts shall be reserved for women candidates as per the provisions of the Madhya Pradesh Civil Services (Special Provisions for Appointment of Women ) Rules, 1997.

(8) 6 percent post shall be reserved for disabled persons, provided they are found capable of doing the work for which they are being appointed."

2. In Schedule-I, for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:-

" (ii) Agricultural Engineering-					
1.	Mechanical Assistant (Sub engineer)	53	Class-III (Executive)- (Non Ministerial)	PB-2 Rs. 9300- 34800+Rs. 3200	---
2.	Mechanic	65	Class-III (Non Ministerial)	PB-2 Rs. 5200- 20200+Rs. 2100	---
3.	Tractor operator (Tractor operator / Air compressor operator)	320	- do -	PB-2 Rs. 5200- 20200+Rs. 2100	---
4.	Welder	6	- do -	PB-2 Rs. 5200- 20200+Rs. 2100	---
5.	Turner	2	- do -	PB-2 Rs. 5200- 20200+Rs. 1900	---
6.	Carpenter cum- Black Smith/ Black Smith	9	- do -	PB-2 Rs. 5200- 20200+Rs. 1900	---
7.	Vehicle driver (Agricultural Engineering)	10	- do -	PB-2 Rs. 5200- 20200+Rs. 1900	---
8.	Electrician	2	- do -	PB-2 Rs. 5200- 20200+Rs. 1900	----
9	Cleaner (Hammer man / Cleaner /Mate /Helper)	269	Class-IV (Non Ministerial)	PB-2 Rs 4440- 7440+Rs. 1300	---

3. In Schedule- II, for clause (ii), following clause shall be substituted, namely:-

Farmer's Welfare and Agriculture Development Department	(ii) Agricultural Engineering-						
	1.	Mechanical Assistant (Sub engineer)	53	90 %	10 %	---	---
	2.	Mechanic (Agricultural Engineering)	65	-	100 %	---	---
	3.	Tractor operator (Tractor operator / Air compressor operator)	320	-	100 %	---	---
	4.	Welder	6	100 %	-	---	---
	5.	Turner	2	100 %	-	---	---
	6.	Carpenter cum- black smith/ black smith	9	100 %	&	---	---
	7.	Electrician	2	100 %	-	---	---
	8.	Vehicle Driver (Agricultural Engineering)	10	100 %	-	---	---
9.	Cleaner (Hammer man / Cleaner /mate /Helper)	269	100 %	-	---	---	

4. In Schedules-III, for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:-

Farmer's Welfare and Agriculture Development Department	(ii) Agricultural Engineering-					
	1	Mechanical Assistant (Sub engineer)	20 year	40 years	Degree in Agriculture Engineering. Through recognized University.	---
	2	Welder	18 year	40 years	requisite trade passed through I.T.I recognized by N.C.V.T./ S.C.V.T.	---
	3	Turner	18 year	40 years	requisite trade passed through I.T.I recognized by N.C.V.T./ S.C.V.T.	---
	4	Carpenter cum- black smith/ black smith	18 year	40 years	requisite trade passed through I.T.I recognized by N.C.V.T./ S.C.V.T.	---
	5	Electrician	18 year	40 years	requisite trade passed through I.T.I recognized by N.C.V.T./ S.C.V.T.	---
	6	Vehicle Driver (Agricultural Engineering)	18 year	40 years	8 th-standard passed and having heavy vehicle driving license	---
7	Cleaner (Hammer man / Cleaner /mate /Helper)	18 year	40 years	8 th standard passed	---	

5. In Schedule-IV, for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:-

Name of Department	Name of Service or post from which Promotion is to be made	Service Experience for Promotion	Name of Service or post to which Promotion is to be made	Members of the Departmental Promotion Committee	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>(ii) Agricultural Engineering-</b>					
<b>Farmer's Welfare and Agriculture Development Department</b>	1. Mechanic (Agricultural Engineering)	5 Years	Mechanical Assistant (Sub Engineer)	(1) Senior most Class I. (not the appointing authority) or Class II Officer Preferably out of concerned establishment (2) Any other one or two officers concerned with the subject (3) The officer concerned with the establishment	---
	2. Tractor operator (Tractor operator / Air compressor operator)	5 Years	Mechanic (Agricultural Engineering)		---
	3. Cleaner (Hammer man / Cleaner /mate /Helper)	8 Years	Tractor operator (Tractor operator/ Air compressor operator)		On promotion one should produce tractor driving license within 3 months after joining.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
AJAY GUPTA, Dy. Secy.